स्वदेश
(02.07.2015)

15 किमी दूर राशन दुकान ग्रामीणों की फजीहत

प्रशासन का ध्यान नहीं

स्वदेश संवाददाता। मंडला

अन्नपूर्णा योजना चलाकर हर गांव में सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्राणाली को दुरूस्त किया गया है। जिससे कि पात्र लोगों को राशन दुकानों से अनाज मिल सके लेकिन कई पंचायतों में राशन दुकान ही नहीं है। अंजनिया के पास मानिकपुर के ग्रामीण 15 किमी दूर ककैया राशन दुकान से अनाज लेने आते है। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राशन दुकान नहीं होने से बारिश के दिनों में ग्रामीणों को खाने के लाले पड़ जाते है। बताया गया है कि खाद एवं आपूर्ति विभाग द्वारा दूर दराज स्थित गांव टोलो में बारिश के समय राशन पहुंचाने का पूरे इंतजाम नहीं किए गए है। अंजनिया के पास गांव मानिकपुर में राशन दुकान से अनाज लेने के लिए ग्रामीणों को मोटर साईकिल से 15 किमी का सफर तय करना पड़ता है तब जाकर उन्हें सस्ता अनाज का लाभ मिल पाता है। यहां के ग्रामीणों को ककैया की राशन दुकान से अनाज आवंटित किया जाता है। पात्रता पर्ची [illegible] की जारी की गई है

Lokswar
(30.06.2015)

मनोज योगी की मौत का मामला

पुलिस समय पर पहुंच जाती तो बच जाता मनोज

ब्यूरो, गंजबासौदा

26 और 27 जून की दरम्यानी रात मनोज योगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे है। परिजन मनोज की मौत को पुलिस की लापरवाही मान रहे हैं। मृतक के भाई दिनेश योगी और उमेश योगी ने आरोप लगाते हुए बताया कि 26 जून शुक्रवार की रात 9 बजे छोटू व संतोष नामक दो युवकों ने उसके भाई के साथ जमाकर मारपीट की थी। जब युवक मारपीट कर रहे थे उस समय उसकी मां सुंदरबाई भी तेज आवाजें सुनकर मनोज के कमरे पर पहुंची थी तो युवकों ने मां के पेट में लात मारकर भगा दिया था तो मेरी मां ने बहन के मोबाइल से पुलिस थाने में मनोज के साथ मारपीट करने की शिकायत भी की थी। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मारपीट के दौरान जब मनोज की मौत हो गई तो उक्त युवक उसे फांसी फंदे के पर लटकाकर दरवाजा बंद करके चले गये थे। इस घटना की सूचना भी पुलिस को दी गई थी लेकिन पुलिस सुबह चुपचाप मनोज का शव फंदे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए ले आई और परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी जिससे पुलिस की भूमिका भी संदेहास्प्रद दिखाई दे रहे हैं।

> » मनोज के भाई ने लगाए आरोप

मनोज के पुत्र का जन्मदिन मनाने आई थी मां

मृतक की बहन पप्पी नाथ भी घटना स्थल पर ही निवास करती है, ने बताया कि मेरी मां भोपाल से मनोज के पुत्र का जन्म दिन मनाने आई थी। उसे क्या पता था कि उसके सामने ही लोग उसकी जान ले लेंगे। पप्पी नाथ का आरोप है कि जब मेरे द्वारा पुलिस थाने को भाई के साथ मारपीट किये जाने की सूचना दी गई थी उस समय यदि पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो मनोज आज जिंदा होता। मनोज की मार-मार कर हत्या करने वाले जितने दोषी है उतनी ही दोषी पुलिस भी है क्योंकि पुलिस की निष्क्रियता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण मनोज की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों के आक्रोश को शांत करने के लिए मृतक की पत्नी वर्षा, ससुर परमानंद, सास अनीताबाई, सीताराम, संतोष दांगी और छोटू दांगी के खिलाफ धारा 306, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है लेकिन मृतक के साथ मारपीट की पुलिस थाने में सूचना देते समय जिन पुलिसकर्मियों ने घटना स्थल पर पहुचने में लापरवाही बरती।